छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2012 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 28, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2012-2013 के बजट की प्रथम एवं द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सदस्य, प्रदेश में नक्सली घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, रायपुर, मोवा में शासकीय वॉटर कोर्स की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री बैदूराम कश्यप, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

<u>निर्धारित समय</u>

5. संकल्प

1 घंटा श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

''यह सदन सिफारिश करता है कि छोटे-छोटे किसानों, खुदरा व्यवसाइयों एवं दुकानदारों के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय पर देशहित में पुनर्विचार करे।''

क्रमशः 2

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

1 घंटा (1) श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि-छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 14 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

40 मिनट (2) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 15 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

10 मिनट (3) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

30 मिनट (4) श्री राजेश मूणत,परिवहन मंत्री,प्रस्ताव करेंगे कि- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

रायपुर
दिनांक 18 दिसम्बर,2012

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.